कार्यालयः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी (म0प्र)

//निविदा आमंत्रण सूचना//

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय भवन, डिण्डौरी में रखे शासकीय वाहनों को विक्रय किये जाने हेतु संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक संस्थाएं/ व्यक्तियों/कंपनियां कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में कार्यालयीन समय पर आवक/जावक शाखा से निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं उपरोक्त निविदायें **दिनांक 20.06.2021 से दिनांक 20.07.2021 को शाम 5:00 बजे तक** भरकर कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक है। प्राप्त निविदायें **दिनांक 22.07.2021 को निविदाकर्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में दोपहर 2:00 बजे** कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा फार्म एवं निविदा की शर्तो की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय डिण्डौरी की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov. in/dindori पर भी उपलब्ध है, जहां से उपरोक्त निविदा फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु वाहन का विवरण निम्नानुसार हैः–

कमांक	वाहन का विवरण	स्थान जहां वाहन रखा है
1	**Tata indigo GLX BS** Reg. No.- MP 02 AV 3061 Make Year - 2010 Total Run - 34940 K.M. Insurance Validity- No, R.C. Book Availability- Yes, District Court Premises Dindori	District Court Premises Dindori

निविदा की शर्तेः–

1. सीलबंद निविदा दिनांक **20.06.2021 से 20.07.2021 को सायं 5:00 बजे तक** स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रूपये **15000/– (पन्द्रह हजार रूपये/–)** की जमानत राशि **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी** को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. निविदा फार्म प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता के द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

4. सफल निविदाकर्ता को अधिकतम निविदा की राशि की 25 प्रतिशत राशि 07 दिवस के अंदर डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, राशि जमा न होने पर विक्रय रद्द माना जावेगा एवं धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी ।

5. वाहन से संबंधित परिवहन कार्यालय की औपचारिकतायें एवं अन्य औपचारिकतायें क्रेता को स्वयं के व्यय से पूर्ण करनी होगी ।

6. निविदा में प्राप्त अधिकतम राशि स्वीकृत प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात वाहन प्रदाय किया जा सकेगा ।

7. वाहन अपने आधिपत्य में लेने के एक माह के अंदर नाम स्थानांतरण तथा पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

8. सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है ।

9. निविदा से संबंधित विवादों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

10. वाहन का निरीक्षण कार्यालय दिवस एवं समय में नजारत अनुभाग डिण्डौरी के माध्यम से किया जा सकता है ।

11. निविदा **दिनांक 22.07.2021 को प्रातः 11:00 बजे** निविदाकर्ता /प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा, यदि किसी कारणों से उक्त दिवस पर निविदा नहीं खुल पायी तो अगले कार्य दिवस पर उपरोक्त समय व स्थान पर निविदा खोला जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म0प्र0)
14.6.2021

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म.प्र.)

–:: वाहन की नीलामी हेतु निविदा फार्म::–

प्रथम पक्ष :– निविदाकर्ता का नाम...

पिता का नाम ....

पताः–...

....

मोबाईल नं0 ....

ई–मेल आई.डी ....

वाहन कमांक ....

प्रस्तावित निविदा राशि ....

अनुज्ञप्तिदाता :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी।